

आदेश

उत्तर प्रदेश स्टाम्प (सम्पत्ति का मूल्यांकन) नियमावली 1997 (यथा उत्तराखण्ड में भी लागू) के नियम 4 (1) में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए तथा शासन के दिशा निर्देशों के अनुपालन में जनपद चम्पावत में स्थित सम्पत्तियों का पूर्व में जारी मूल्यांकन सूची में आंशिक संशोधन किया जाता है, तथा स्टाम्प एवं पंजीकरण शुल्क भुगतान के उद्देश्य से निम्न प्रकार दरें निर्धारित की जाती हैं। यह दरें सूची जारी करने के दिनांक से प्रभावी होंगी।

तहसील चम्पावत नगरीय क्षेत्र

क्र. सं.	प्रमुख मार्ग / मोहल्लों / राजस्व की श्रेणी	प्रमुख मार्ग / मोहल्लों / राजस्व ग्रामों का नाम	कृषि भूमि (प्रति है०)	अकृषिक भूमि / सम्पत्ति (प्रति वर्ग मी०)	बहुमंजिलीय आवासीय भवन में स्थिति आवासी प्लैट (सुपर एरिया प्रति वर्ग मी०)	सामान्य दर (Basic Rate)			
						वाणिज्यिक भवन (सुपर एरिया प्रति एकान / रेस्टोरेंट / कार्यालय	अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठान	गैर वाणिज्यिक (पक्का)	द्वितीय श्रेणी (सेमी पक्का / कच्चा)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
नगरपालिका परिषद् चम्पावत अन्तर्गत की समस्त भूमि									
1	क	चम्पावत, सेलाखोला, मल्ली मादली, तल्ली मादली, ल्यारकूणा, मांजगाँव, कनलगाँव, जूपपटवा	24300000.00	2550.00	13550.00	30000.00	25000.00	9000.00	5000.00
2	ख	डुंगारासेठी, पुनेठी, कुलेठी, खर्ककाकी, शक्तिपुर, चौकी	16000000.00	1680.00	12680.00	30000.00	25000.00	9000.00	5000.00

निदेशक

तहसील चम्पावत अर्द्धनगरीय क्षेत्र

क्र. सं.	प्रमुख मार्ग / मोहल्लों / राजस्व ग्रामों की श्रेणी	प्रमुख मार्ग / मोहल्लों / राजस्व ग्रामों का नाम	कृषि भूमि (प्रति हे०)	अकृषिक भूमि / सम्पत्ति (प्रति वर्ग मी०)	बहुमंजिलीय आवासीय भवन में स्थिति आवासी फ्लैट (सुपर एरिया प्रति वर्ग मी०)	सामान्य दर (Basic Rate)			
						वाणिज्यिक भवन (सुपर एरिया प्रति वर्ग मी०)		गैर वाणिज्यिक निर्माण की दर (प्रति वर्ग मी०)	
						दुकान / रेस्टोरेंट / कार्यालय	अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठान	प्रथम श्रेणी (पक्का)	द्वितीय श्रेणी (सेमी पक्का / कच्चा)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	क	डडाबिस्ट, मुडियानी, बाजरीकोट, चौड़ासेटी, राकड़ीकुलारा	15250000.00	1600.00	12600.00	25000.00	2000.00	8000.00	4500.00
2	ख	ढकनाबडोला, नांदबोरा, सैदोलाबोरा, लटोली, दुधपोरखरा, फुंगार	120000000.00	1300.00	12300.00	25000.00	2000.00	8000.00	4500.00

*M. S. S.*

तहसील चम्पावत

ग्रामीण क्षेत्र

क्र.सं.	प्रमुख मार्ग / मोहल्लों / राजस्व ग्रामों की श्रेणी	प्रमुख मार्ग / मोहल्लों / राजस्व ग्रामों का नाम	सामान्य दर (Basic Rate)						
			कृषि भूमि (प्रति है०)	अर्द्धिक भूमि / सम्पत्ति (प्रति वर्ग मी०)	बहुमंजिलीय आवासीय भवन में स्थिति आवासी प्लैट (सुपर एरिया प्रति वर्ग मी०)	वाणिज्यिक भवन (सुपर एरिया प्रति वर्ग मी०)	अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठान	पथम श्रेणी (पक्का)	द्वितीय श्रेणी (सेमी पक्का / कच्चा)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	क	वनई, कफलोंग, बरदोली, जायड, शिलिंगटाक, मौनपोखरी, कठनौली, पर्वत, धौन, नधान, मौराडी	9000000.00	950.00	11950.00	22000.00	20000.00	8000.00	4500.00
2	ख	इन्टी, डी.डी.पानी, चैकुनीबोरा, चैकुनीपाण्डे, कभौला, पैलीमाफी, काण्डा, तिरसा, नगरगाँव, पल्सों, ड्यूरुखर्क, भगीनाभण्डारी, खर्क, चौधरीज्यूला, सन्याफल्थालगाखलकडिया, सन्यानीलकडिया, सन्याफल्थालगाखुनाडी, खर्कबागड, खुनाडी, बिलौटासैन, डिगडई, खलकडिया, खेतारखेडा, खेतारनरियाल, नायल, रतनकडिया, गडकोट, पातल, सुयालखर्क, सिप्टी, पुनाबे, मटेला, कोयाटी, सैन्दर्क, कालूखान, गूठगडसाडी, बड़पास, मैरोली, बसान, लघौनटुकरा, बुगाख्याली, ऐडी, दुबचौडा, नरिसिंहडाडा, बिरगुल, गोली, चौडाख्याली, सायली, बरियामूठ, ध्यानभण्डारी, नायल, अमौडी, डोला, खाला, कांडा, दियूरी, दुबडजैनल, रैसंग, खार, बोयल, गुरखोली, तुलाकोट, रमैला, तामली, पौलप, बचकोट, नाग, बिरगोला, सिमियाउरी, निनौडी, कारी, मंच, ल्वाकी, हरम, सल्ली, नीड, कलाडमाफी, सिमल्टामाफी, बिलहडी, चौडाडुमखौरी, लमकन्था	4500000.00	500.00	11500.00	20000.00	15000.00	6000.00	3000.00

1

3	ग	ववारसिंग, छतकोट, वधैराला, गायल, अमोडी, जोगांवजैताली, सलकाण्डा, नन्दकुली, शीठा, झुगारा, पडगा, वंचलपुर उर्फवाचडी, पत्यमोन, मझेडा, बडोली।	3120000.00	350.00	11350.00	12500.00	12000.00	4500.00	2400.00
4	घ	भूलागोंव, रायल, सिमाड, औखलडुगगा, दुनिया, मिरतोला, नदोला, अमकाडिया, लफडा, विवाडिक, नायडी, बस्त्रिया, भगिनाखेत, जमराडी, पाली, वैडा, देवकीदियोली, घुरघुम, अमोन, बजोन, तडाबोर, बरोडी, दुधोशे, हियूला, भनौली, खटोलीतल्ली, खटोली मल्ली, पिनाना, पनचर्ड, वैला, रियासीबमनगोंव, तरकुली, बरकुम, अमोडा, आमनी, हियाली, भण्डार, सौराई, हरतोला, रुईया, कुकडीनी, सतकुला, आमगूठ, तल्लाकफल्टा, मल्लाकफल्टा, कैसूडा, आमखोला, गुरनागूठ, दूनी, पाली, सैकुंवर, भण्डारबोर, सौजाबिष्ट, बसोटीमाफी, बुगगाचैकुनी, बकुण्डा, गिरिपुनेठी, बकोडा, मोस्टा, अकेशे, न्वानी, मटकाण्डा, रसूलोला, खटगिरि, अमोडा	450000.00	50.00	11050.00	12000.00	11500.00	4500.00	2400.00

12/12/20

नगरीय क्षेत्र तहसील तोहाघाट

		सामान्य दर (Basic Rate)									
क्र. सं.	प्रमुख मार्ग / मोहल्लों / राजस्व ग्रामों की श्रेणी	प्रमुख मार्ग / मोहल्लों / राजस्व ग्रामों का नाम	कृषि भूमि (प्रति है०)	अकृषिक भूमि / सम्पत्ति (प्रति वर्ग मी०)	बहुमंजिलीय आवासीय भवन में स्थिति आवासीय परलैट (सुपर एरिया प्रति वर्ग मी०)	वाणिज्यिक भवन (सुपर एरिया प्रति वर्ग मी०)		गैर वाणिज्यिक निर्माण की दर (प्रति वर्ग मी०)		द्वितीय श्रेणी (सेमी पक्का / कच्चा)	
						दुकान / रेस्टोरेंट / कार्यालय	अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठान	प्रथम श्रेणी (पक्का)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1	क	समस्त भूमि ग्राम तोहाघाट	2,20,00,000.00	2500.00	13500.00	30000.00	25000.00	9000.00	5000.00		

अर्द्धनगरीय तहसील तोहाघाट

		सामान्य दर (Basic Rate)									
क्र. सं.	प्रमुख मार्ग / मोहल्लों / राजस्व ग्रामों की श्रेणी	प्रमुख मार्ग / मोहल्लों / राजस्व ग्रामों का नाम	कृषि भूमि (प्रति है०)	अकृषिक भूमि / सम्पत्ति (प्रति वर्ग मी०)	बहुमंजिलीय आवासीय भवन में स्थिति आवासीय परलैट (सुपर एरिया प्रति वर्ग मी०)	वाणिज्यिक भवन (सुपर एरिया प्रति वर्ग मी०)		गैर वाणिज्यिक निर्माण की दर (प्रति वर्ग मी०)		द्वितीय श्रेणी (सेमी पक्का / कच्चा)	
						दुकान / रेस्टोरेंट / कार्यालय	अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठान	प्रथम श्रेणी (पक्का)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1	क	पाटन पाटनी, राइकोटमहर, कलीगांव, कोलीढक, फर्नाहिल ।	12500000.00	1375.00	12375.00	25000.00	20000.00	8000.00	4500.00		
2	ख	गोसनी (खेतीखान), चौडी, राइकोटकुर ।	70000000.00	750.00	11750.00	20000.00	15000.00	8000.00	4500.00		

1 Page

ग्रामीण क्षेत्र तहसील लोहाघाट ।

क्र.सं.	प्रमुख मार्ग / मोहल्लों / राजस्व ग्रामों की श्रेणी	प्रमुख मार्ग / मोहल्लों / राजस्व ग्रामों का नाम	सामान्य दर (Basic Rate)							
			कृषि भूमि (प्रति है०)	अकृषिक भूमि / सम्पत्ति (प्रति वर्ग मी०)	बहुमंजिलीय आवासीय भवन में स्थिति आवासी परलैट (सुपर एरिया प्रति	गाणिधिक भवन (सुपर एरिया प्रति वर्ग मी०)		प्रथम श्रेणी (पक्का)	द्वितीय श्रेणी (सेमी पक्का / कच्चा)	
						रुकान / स्टैट / कार्यालय	अन्य गाणिधिक प्रतिष्ठान			दर (प्रति वर्ग मी०)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	क	एवटमारण्ड, फनीहिल, मायावली, पऊ, चौडादेक, बन्देलादेक, पौत्रीदेक, मल्लादेक, फोर्ती, मोत्तूरज, बनगांव, चिडियादुगा, खूनाबोरा, खूनामलक ।	7000000.00	750.00	11750.00	20000.00	15000.00	8000.00	4500.00	
2	ख	पुल्ला, मडलक, किमतोली, भूमलाई, चौडीभाट, डेसली, इडाकोट ।	3750000.00	400.00	11400.00	12500.00	12000.00	4500.00	2400.00	
3	ग	चौडादेक, बन्देलादेक, पौत्रीदेक, मल्लादेक, सैतलीमारा, कलचौडा, डुंगाफर्याल, डुंगरीफर्याल, शुवामारा, बुडचौडा, मानरतल्ला, मानरमल्ला, शैसाल, बिण्डातिवारी, ख्यागद, खैसकाण्डे, भूमलाई ।	2500000.00	260.00	11260.00	12500.00	12000.00	4500.00	2400.00	
4	घ	फुदपाटनी, कोयाटीखालसा, मझेडा, बलाई, मंगोली, बडोली, बस्टनीली, बटौली, ठाटा, सुदर्का, नाकोट, छतोली, ल्यूनघर, झलानदेव, हरोडी, खुतेली, सिरमोली, परधानीखेत, जनकाण्डे, सिरतोली, भरोली, लडी, बगाजीबाला, बुधखडिया, कानाकोट, युमाली, परधानी, ल्यारसौं, बाटुलाबांज, बांजभण्डारी, बुदकाडिया, डुमडाई, खौन, सैल, काकडी, गुरेली, बगौटी, बरकुनी, विविल, जिन्डीसुराडी, मडचमार, बसान, खेती, रुद्रमाली, पोखरीबोरा, डुंगराबोरा, मडुवा, मटियानी, बिल्दे, स्वर, खेतसारी, डीक, टन्टकाण्डे, पोखरीसौन, कोटला, डुंगरालेटी, बांकू, खाटखुटम ।	7500000.00	80.00	11080.00	12000.00	11500.00	4500.00	2400.00	

1/2/2018

5	इ	कोयाटीमूर्त, गंगनौला, गुंगामारा, मोयूरज, पदाडी, गुडमंगल, चामा, गजीना, सूखाबाडम, मजपीपल, सागर, बडम, सेलासलपड, जमरसी, सिमलक, सिलिंग, चमौला, निडिल, खायकोटतल्ला, खायकोटमल्ला, खिलपति, कोटलगा चांचडी, विल्कोट, पैडूसेरा, कोट, गोडी, लोजनी, टुड्डीविष्ट, डनगांव, डोरजा, टुनकाण्डे, मतबलाना, बलाना, बोरानुंगा, फांफर, पतलना, द्विगरा, गुरेली, खतेजामल्ला, खतेजातल्ला, कनेडी, नरखौला, काफली, नौलिया, बमनकुडा, मौडा, सनकाफल, सुल्ला, पासम, असलाड, कमलेडी, सिरौली, कुलौली, टुंगाबोरा, चौडला, कोटसासी, जाख, जाखजिन्डी, पिलखीचमार, भानाडुंगा । बनतडी, पातली, जाख, घुडकी, घनेल, गम्भीरगांव, बयालनुंगा, कफलेख, खेतीगाड, घुरचौडा, कुन्डीमारा, पातली, कायल, तल्लानयाबाद, चौंसी, डुंगरी, खुल्कवार, पीडलगाबजगल, तडा, पुडिल, कुनडी, पटोली, नाकोट खोलिया, बसेडी ।	650000.00	70.00	11070.00	12000.00	11500.00	4500.00	2400.00
6	च	डुंगरी, खुल्कवार, पीडलगाबजगल, तडा, पुडिल, कुनडी, पटोली, नाकोट खोलिया, बसेडी ।	450000.00	50.00	11050.00	12000.00	11500.00	4500.00	2400.00

12/11/20

अर्द्धनगरीय तहसील बाराकोट

क्र.सं.	प्रमुख मार्ग/मोहल्लों/राजस्व ग्रामों की श्रेणी	प्रमुख मार्ग/मोहल्लों/राजस्व व ग्रामों का नाम	कृषि भूमि (प्रति है०)	अकृषिक भूमि /सम्पत्ति (प्रति वर्ग मी०)	बहुमंजिलीय आवासीय भवन में स्थिति आवासीय प्लैट (सुपर एरिया प्रति वर्ग मी०)	सामान्य दर (Basic Rate)			
						गाण्डियक भवन (सुपर एरिया प्रति वर्ग मी०)	अन्य गाण्डियक प्रतिष्ठान	पैर गाण्डियक निर्माण की दर (प्रति वर्ग मी०)	द्वितीय श्रेणी (सेमी पक्का/कच्चा)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	क	1-बाराकोट	4500000.00	500.00	11500.00	20000.00	15000.00	6000.00	3000.00
		2-फरतोला	4500000.00	500.00	11500.00	20000.00	15000.00	6000.00	3000.00

*Handwritten signature*



ग्रामीण क्षेत्र तहसील बाराकोट

क्र.सं.	प्रमुख भार्ग/मोहल्लो/राजस्व ग्रामों की श्रेणी	प्रमुख भार्ग/मोहल्लो/राजस्व ग्रामों का नाम	सामान्य दर (Basic Rate)						
			कृषि भूमि (प्रति है०)	अकृषिक भूमि /सम्पत्ति (प्रति वर्ग मी०)	बहुमंजिलीय आवासीय भवन में स्थिति आवासीय प्लॉट (सुपर एरिया प्रति वर्ग मी०)	दुकान/ रेस्टोरेंट/ कार्यालय	अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठान	गैर वाणिज्यिक भवन (सुपर एरिया प्रति वर्ग मी०)	गैर वाणिज्यिक निर्माण की दर (प्रति वर्ग मी०)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	क	बौतडी	3750000.00	400.00	11400.00	12500.00	12000.00	4500.00	2400.00
2	ख	खोलासुनार, भाला बापरु, बत्तोली, गुमीद ।	2500000.00	275.00	11275.00	12500.00	12000.00	4500.00	2400.00
3	ग	कौलाडी, काकड, रैधांव, कामाजूला, बकरियाजूला, पडासौसेरा, सुगरखाल, लुवाकोट, गल्लागांव, कालाकोट, तल्ला बापरु ।	1250000.00	130.00	11130.00	12500.00	12000.00	4500.00	2400.00
4	घ	गुरनानयाबाद, गुरनासतोला, बखलज, सिगादा, पुनई, बिसराडी, पम्दा, बैडाबैडवाल, फुलापै, तडीगांव, नौमाना, टाक, गोटकडा, झिरकुनी, तडाग, डोवाभागू, इजाडा, सावलगांव, ल्वाकी, सुरकोट, देवलीमाफ्री, बसोडी, दटीगांव, बोला, दुंगराओड, बैडाओड, बमेडा, पटनगांव, बयोली लगगा तल्ला बापरु, च्यूसानी, भारतोली, दिधारतोली, खकोडा, हिवौडा, छन्दा, छीडा, बांस, लित्ति, आगर, चौडासाह, नैनीमहर, बेट्टा, वल्सों, जमाड, चांचडी, सुतेडा, चांभीमयगुंट, मऊ, मौलानी, लीवू, खैती, काकडी, चमसौली ।	750000.00	80.00	11080.00	12000.00	11500.00	4500.00	2400.00
5	ङ	पटलती, भनार, सूरी, नदेडा ।	650000.00	70.00	11070.00	12000.00	11500.00	4500.00	2400.00
6	च	भिरतोली, बांज, तल्ली, जिन्डी, दुंगाजोशी, पट्यूडा, कोटेरा, मयू, बनौला, दुंगामल्ला, बनकडिया, रैधाडी, चूलागांव, निगालीगाड, बुरौला, अदखपडी, मीनाडा, मेरी, बयोली खोलिया, चमोली, जाख लगगा सुतेडा, सीत, सलान, नेत्र, गायकाजूला, सिमैला, पुनियाल, गंगालीमुलई, बरुडी ।	450000.00	50.00	11050.00	12000.00	11500.00	4500.00	2400.00

1 2/1/2

सर्किल रेट तहसील पाटी।  
अर्द्धनगरीय क्षेत्र

क्र० सं०	प्रमुख मार्ग / मोहल्लों / राजस्व ग्रामों की श्रेणी	प्रमुख मार्ग / मोहल्लों राजस्व ग्रामों का नाम	कृषि भूमि (प्रति हे०)	अकृषिक भूमि / सम्पत्ति (प्रतिवर्ग मी०)	वहुमंजलीय आवासीय भवन स्थित आवासीय फलट (सुपर ऐरिया प्रति वर्ग मी०)	सामान्य दरें		गैर निर्माण की दर (प्रति वर्ग मी०)	वाणिज्यिक दर (प्रति वर्ग मी०)
						वाणिज्य भवन (सुपर ऐरिया प्रति वर्ग मी०)	अन्य वाणिज्य प्रतिष्ठान		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1--	क	मुख्य सडक से लगे हुये ग्राम- 1- पाटी, जौलाडी, देवीधुरा।	85000000.00	950.00	11950.00	22000.00	20000.00	80000.00	45000.00
2	ख	2- चौडापिता (सिटा साहिब), मारगोव।	75000000.00	850.00	11850.00	20000.00	18000.00	60000.00	30000.00

1

तहसील पाटी ।  
ग्रामीण क्षेत्र

क्र० सं०	प्रमुख मार्ग / मोहल्ला / राजस्व ग्रामों का नाम	प्रमुख मार्ग / मोहल्ला / राजस्व ग्रामों का नाम	सामान्य दरें							प्रथम श्रेणी (पक्का)	द्वितीय श्रेणी (सेमी पक्का / करवा)
			कृषि भूमि (प्रति हे०)	अकृषिक भूमि / सम्पत्ति (प्रति वर्ग मी०)	बहुमंजरीय आवासीय मकान से स्थित आवासीय फ्लैट (सुपर ऐरिया प्रति वर्ग मी०)	वाणिज्य मकान (सुपर ऐरिया प्रति वर्ग मी०)	दुकान / रेस्तराँ / कार्यालय	अन्य वाणिज्य प्रतिष्ठान	नगर वाणिज्यिक निर्माण की दर (प्रति वर्ग मी०)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1-	क	मुख्य सड़क से लगे हुये गाँव- कडवालगाँव, कमलेख, गरसाडी, दर्शक, भैरव, कनवाड़, बालिक, हौलीपिलाली, टाकबल्लाडी, खरही, कलियालगाँव, ।	5000000.00	550.00	11550.00	20000.00	15000.00	6000.00	3000.00		
2-	ख	सम्पर्क मोटर मार्ग से लगे हुये विशिष्ट ग्राम- भिंगराडा, पनियां, बोरावापड़, मूलाकोट, मंगलखेड़, रिमलखेत ।	2500000.00	300.00	11300.00	12500.00	12000.00	4500.00	2400.00		
3-	ग	सम्पर्क मोटर मार्ग से लगे हुये मुख्य ग्राम- रिमलागाँव, म्पोलाखाना, पीपलडीगा, टकनापुरी, बनीली, रावलगाँव, कुंभैयाकुडा, खैरनीगाँव, नवाई, धौन किमखाड़, कार्कीखाना, मनटाण्डे, चौडागाँव, सिल्लोडीगाँव, बनौली लगगा डुगारा, अनर्पा, बमनवापड़, बनीली, किमाड़, गगराड़, गगर्, सागा, डुगाराकोट, कानीकोट, कोटना, इजटाडुगारा, भास लगगा मूलाकोट, चौडासीन, सुनुडुगारा, बालीगाँव, पटनगाँव, गोलनासेरी गीजूरसान, बासरखाडी, धियाऊकोट, शुवामीनी, चौडाकोट, मौनकाण्डा, डसिया, विलिया, निलौटी, सकदना, पमलोला, नैनी, किन्वाडी, लडा, शैतमल, भैसेली, जैसेली, झुडेली, बडेव, गुम, मछियाड़, टाण तल्ला, टाण मल्ला, साल, रामक, वास्सी, परवा ।	12,50,000.00	250.00	11250.00	12500.00	12000.00	4500.00	2400.00		
4-	घ	सम्पर्क मोटर मार्ग से 01 किलोमीटर से 03 किलोमीटर दूरी तक के ग्राम - तपनीपाल, कोटा, मौन, डुगागिराडा, बसोट, मेल्टा, रूडेली, गहटांडा, पखरकोट, पखौटी, जमनाटाक, जखाला, कफल्दी, बमलोला, बिरौली, मौलानाजाख, रिखौली, जोगाबसान, पारस, कानीकोट लगगा चौडा, तोलीकोडेडी, बुरखखाला ।	6,50,000.00	70.00	11070.00	12000.00	11500.00	4500.00	2400.00		
5-	ङ	सम्पर्क मोटर मार्ग से 03 किलोमीटर से 05 किलोमीटर दूरी तक के ग्राम - सिल्योली, कर्जाना, नावलकोट, अनीली, बिगखकोट, शैला, गगाराड, दत्तोला, झालपुडा, जडियाकमद, छोडागाँव, मुम्वाडी, कूण, हल्दुखर्क, पुनौली, काण्डे, पुलाराकोट, गोलडांडा, तोलारकुडी, गिरना, मोखडा, मोखरी, चरिया, मडियाली, गडपूडा, वधैराली, दुबडकमलेख, सिरकोट, बरमलोडा, झाडभिरातोली, डाबरी, बिमवालगाँव, नीलियागाँव, करौली बालाडी ।	4,50,000.00	50.00	11050.00	12000.00	11500.00	4500.00	2400.00		

1

भैदाजी क्षेत्र तहसील श्री पूर्णागिरी (टनकपुर) अर्द्धनगरीय क्षेत्र

क्र. सं.	प्रमुख मार्ग/मोडल्लों/राजस्व ग्रामों की श्रेणी	प्रमुख मार्ग/मोडल्लों/राजस्व ग्रामों का नाम	कृषि भूमि (प्रति है०)	अकृषिक भूमि /सम्पत्ति (प्रति वर्ग मी०)	बहुमंजिलीय आवासीय भवन में स्थिति आवासीय प्लॉट (सुपर एरिया प्रति वर्ग मी०)	सामान्य दर (Basic Rate)			
						वाणिज्यिक भवन (सुपर एरिया प्रति वर्ग मी०)	गैर वाणिज्यिक निर्माण की दर (प्रति वर्ग मी०)	गैर वाणिज्यिक भवन (सुपर एरिया प्रति वर्ग मी०)	अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठान
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	अ	ज्ञानखेड़ा, नायकखेड़ा, बिचई, चन्दनी, पंचपकरिया, बमनपुरी	23,00,000	3000.00	14,000.00	30,000.00	25,000.00	9,000.00	5000.00
2	ब	गुदमी, देवीपुरा, कागपुर, सेलानीगाँव, आनन्दपुर	20,00,000	2500.00	12,900.00	30,000.00	25,000.00	9,000.00	5,000.00

भैदाजी क्षेत्र श्री पूर्णागिरी (टनकपुर)

नगरीय क्षेत्र

क्र. सं.	प्रमुख मार्ग/मोडल्लों/राजस्व ग्रामों की श्रेणी	प्रमुख मार्ग/मोडल्लों/राजस्व ग्रामों का नाम	कृषि भूमि (प्रति है०)	अकृषिक भूमि /सम्पत्ति (प्रति वर्ग मी०)	बहुमंजिलीय आवासीय भवन में स्थिति आवासीय प्लॉट (सुपर एरिया प्रति वर्ग मी०)	सामान्य दर (Basic Rate)			
						वाणिज्यिक भवन (सुपर एरिया प्रति वर्ग मी०)	गैर वाणिज्यिक निर्माण की दर	गैर वाणिज्यिक भवन (सुपर एरिया प्रति वर्ग मी०)	अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठान
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	क	टनकपुर नगर पालिका क्षेत्रान्तर्गत समस्त भूमि	56,00,000.00	6600.00	17,600.00	35,000.00	30,000.00	11,000.00	6,000.00
2	ख	बनबसा नगर पंचायत क्षेत्रान्तर्गत समस्त भूमि	360,0000.00	4600.00	15,600.00	30,000.00	25,000.00	9,000.00	5,000.00
3	ग	टनकपुर, मोहनपुर, भजनपुर, बनबसा	25,00,000.00	3500.00	14,500.00	30,000.00	25,000.00	9,000.00	5,000.00
4	घ	मनिहारगाँव	24,00,000.00	3000.00	14,000.00	30,000.00	25,000.00	9,000.00	5,000.00

1

भैदानी क्षेत्र ग्रामीण क्षेत्र श्री पूर्णागिरी (टनकपुर)

ग्रामीण क्षेत्र

क्र. सं.	प्रमुख मार्ग / मोहल्लों / राजस्व ग्रामों की श्रेणी	प्रमुख मार्ग / मोहल्लों / राजस्व ग्रामों का नाम	सामान्य दर (Basic Rate)						
			कृषि भूमि (प्रति है०)	अकृषिक भूमि / सम्पत्ति (प्रति वर्ग मी०)	बहुमंजिलीय आवासीय भवन में स्थिति आवासीय प्लेट (सुपर एरिया मंजिलीय दर)	वाणिज्यिक भवन (सुपर एरिया प्रति)	दुकान / रेस्टोरेंट / कार्यालय	अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठान	गैर वाणिज्यिक निर्माण की दर
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	अ	गैडाखाली नं. 1, गैडाखाली नं. 3, गैडाखाली नं. 4, उबौलीगोट	18,00,000.00	2000.00	13,500.00	25,000.00	20,000.00	8,000.00	4,500.00
2	ब	दुवराभपुर, बददौराहंसी, बगदौराखास, सुवाकोट, ध्यालखेडा, खेतखेडा, बरिस्टया, बरमदेव, छीनीगोट, छीनीतल्ली,	16,00,000.00	1800.00	12,300.00	25,000.00	20,000.00	8,000.00	4,500.00
3	स	छीनी मल्ली, चेलानगोट, कलौनिया, कटुवापाती, भैंसाझाला,	15,00,000.00	1700.00	12,200.00	25,000.00	20,000.00	8,000.00	4,500.00

*(Handwritten signature)*

पर्वतीय क्षेत्र श्री पूर्णागिरी (टनकपुर)

ग्रामीण क्षेत्र

		सामान्य दर (Basic Rate)							
क्र. सं.	प्रमुख मार्ग/मोहल्लों/राजस्व ग्रामों का नाम	कृषि भूमि (प्रति है०)	अकृषिक भूमि /सम्पत्ति (प्रति वर्ग मी०)	बहुमंजिलीय आवासीय भवन में स्थिति आवासी प्रती वर्ग मी०)	वाणिज्यिक भवन (सुपर एरिया प्रति वर्ग मी०)		शेयर वाणिज्यिक (प्रति वर्ग मी०)	शेयर वाणिज्यिक निर्माण की दर (प्रति वर्ग मी०)	
					दुकान / रेस्टोरेंट / कार्यालय	अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठान			
1	अ	धुरा, चौडाकोट, झालाकुडी, कोलीकुलाडी	10,00,000.00	1500.00	12,500.00	13,000.00	11,500.00	4,500.00	2,400.00
2	ब	गंगसीर, होइडा, निगती भडियार, कलसुनिया, पोथ, लगगा डारंग, खुर्कलाईजर, कोटकेन्दी, खर्नात, बुका, लालगूँ, पूर्णागिरीमार्फे, सनमूडागूँ, कयून, कोटकेन्दी, उत्तली, नौलापानी, तालिथगार्ज, बगला, बुडम, मथियागार्ज, बकौरिया, सुकनी, डांडा, डांडालोहारखूला, ककनई खडायत, बुंगादुर्गापीपल	6,50,000.00	700.00	11,700.00	13,000.00	11,500.00	4,500.00	2,400.00

पर्वतीय क्षेत्र श्री पूर्णागिरी (टनकपुर)

अर्द्ध नगरीय क्षेत्र

क्र. सं.	प्रमुख मार्ग/मोहल्लों/राजस्व ग्रामों का नाम	कृषि भूमि (प्रति है०)	अकृषिक भूमि /सम्पत्ति (प्रति वर्ग मी०)	बहुमंजिलीय आवासीय भवन में स्थिति आवासी प्रती वर्ग मी०)	सामान्य दर (Basic Rate)		शेयर वाणिज्यिक (प्रति वर्ग मी०)	शेयर वाणिज्यिक निर्माण की दर (प्रति वर्ग मी०)	
					दुकान / रेस्टोरेंट / कार्यालय	अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठान			
1	अ	जौल	20,00,000.00	2500.00	13,500.00	14,000.00	12,000.00	4,500.00	2,400.00
2	ब	सूखीढोंग, शयाला, बमनजौल, काण्डा	16,00,000.00	2000.00	13,000.00	14,000.00	12,000.00	4,500.00	2,400.00
3	स	सिलाड	12,00,000.00	1800.00	12,600.00	14,000.00	12,000.00	4,500.00	2,400.00

*Pr*

**कृषि भूमि का मूल्यांकन किये जाने सम्बन्धी मानक (Parameter) –**

1. कृषि भूमि हेतु श्रेणीवार निर्धारित सामान्य दर 05 मीटर से कम चौड़े मार्ग पर स्थित भूखण्ड हेतु निर्धारित मानी जायेगी किन्तु यदि –
  - i. कृषि भूमि 18 मीटर या अधिक चौड़े मार्ग के किनारे स्थित है तो आधार मूल्य 20 प्रतिशत वृद्धि कर मूल्यांकन किया जायेगा।
  - ii. कृषि भूमि 15 मीटर से अधिक व 18 मीटर से कम चौड़े मार्ग के किनारे स्थित है 15 प्रतिशत वृद्धि कर मूल्यांकन किया जायेगा।
  - iii. कृषि भूमि 12 मीटर या अधिक व 15 मीटर से कम चौड़े मार्ग के किनारे स्थित है 10 प्रतिशत वृद्धि कर मूल्यांकन किया जायेगा।
  - iv. कृषि भूमि 5 मीटर या अधिक व 12 मीटर से कम चौड़े मार्ग के किनारे स्थित है 5 प्रतिशत वृद्धि कर मूल्यांकन किया जायेगा।
2. 0.02 हैक्टेयर (2000 वर्ग मी.) से कम कृषि भूमि के अन्तरण पर उक्त श्रेणी में अकृषक भूमि हेतु श्रेणीकर निर्धारित दरें ही लागू की जायेगी।

**अकृषि भूमि का मूल्यांकन किये जाने सम्बन्धी मानक (Parameter) –**

अकृषि भूमि/सम्पत्ति हेतु श्रेणीवार निर्धारित सामान्य दर 05 मीटर से कम चौड़े मार्ग पर स्थित भू-खण्ड हेतु निर्धारित मानी जायेगी किन्तु यदि--

- i. अकृषि भूमि 18 मीटर या अधिक चौड़े मार्ग के किनारे स्थित है, 20 प्रतिशत वृद्धि कर मूल्यांकन किया जायेगा।
- ii. अकृषि भूमि 15 मीटर या अधिक हो 18 मीटर से कम चौड़े मार्ग किनारे स्थित है, 15 प्रतिशत वृद्धि कर मूल्यांकन किया जायेगा।
- iii. अकृषि भूमि 12 मीटर या अधिक व 15 मीटर से कम चौड़े मार्ग किनारे स्थित है, 10 प्रतिशत वृद्धि कर मूल्यांकन किया जायेगा।
- iv. अकृषि भूमि 05 मीटर या अधिक व 12 मीटर से कम चौड़े मार्ग किनारे स्थित है, 05 प्रतिशत वृद्धि कर मूल्यांकन किया जायेगा।

परन्तु कृषि या अकृषि भूखण्डों पर विकसित किये जाने वाले वाणिज्यिक भूखण्डों का मूल्यांकन उपरोक्तानुसार वर्णित सामान्य दर के 2 गुने (200 प्रतिशत) होगा।

**बहुमंजिला आवासीय भवन में स्थित आवासीय फ्लैट के मूल्यांकन किये जाने सम्बन्धी मानक (Parameter) –**

1. बहुमंजिला आवासीय भवन में स्थित आवासीय फ्लैट के मूल्यांकन हेतु सामान्य दर सुपर एरिया प्रतिवर्गमीटर के आधार पर निर्धारित है। सुपर एरिया प्रतिवर्गमीटर के आधार पर नियत की जाने वाली सामान्य दर में भूमि एवं निर्माण का मूल्यांकन समाहित किया गया है।
2. बहुमंजिली इमारत के परिसर हेतु श्रेणीवार निर्धारित सामान्य दर 05 मीटर से कम चौड़े मार्ग पर स्थित बहुमंजिली इमारतों हेतु निर्धारित मानी जायेगी, किन्तु यदि--
  - i. बहुमंजिली इमारत जिस परिसर में स्थित है यदि वह परिसर 18 मीटर या अधिक चौड़े मार्ग में स्थित है 20 प्रतिशत वृद्धि कर मूल्यांकन किया जायेगा।
  - ii. बहुमंजिली इमारत जिस परिसर में स्थित है यदि वह परिसर 15 मीटर या अधिक हो 18 मीटर से कम चौड़े मार्ग पर स्थित हो 15 प्रतिशत वृद्धि कर मूल्यांकन किया जायेगा।
  - iii. बहुमंजिली इमारत जिस परिसर में स्थित है यदि वह परिसर 12 मीटर या अधिक हो 15 मीटर से कम चौड़े मार्ग स्थित हो 10 प्रतिशत वृद्धि कर मूल्यांकन किया जायेगा।
  - iv. बहुमंजिली इमारत जिस परिसर में स्थित है यदि वह परिसर 05 मीटर या अधिक व 12 मीटर से कम चौड़े मार्ग स्थित है तो उक्त दशा में सामान्य दर में अनुपातिक रूप से 05 प्रतिशत वृद्धि की जायेगी।

**वाणिज्यिक भवन में स्थित प्रतिष्ठान का मूल्यांकन किये जाने सम्बन्धी मानक (Parameter) –**

- (1). वाणिज्यिक भवन में स्थित दुकान/वाणिज्यिक प्रतिष्ठान के मूल्यांकन हेतु सामान्य दर सुपर एरिया प्रति वर्गमीटर के आधार पर निर्धारित की जायेगी, सुपर एरिया प्रति वर्ग मीटर के आधार पर नियत की जाने वाली सामान्य दर में भूमि एवं निर्माण का मूल्यांकन समाहित किया गया है।
- (2). दुकान/वाणिज्यिक प्रतिष्ठान के परिसर हेतु श्रेणीवार निर्धारित सामान्य दर 05 मीटर से कम चौड़े मार्ग पर स्थित दुकान/वाणिज्यिक प्रतिष्ठान हेतु निर्धारित मानी जायेगी, किन्तु यदि--
  - (i) दुकान/वाणिज्यिक प्रतिष्ठान जिस परिसर में स्थित है यदि वह परिसर 18 मीटर या अधिक चौड़े मार्ग पर स्थित है, 20 प्रतिशत वृद्धि कर मूल्यांकन किया जायेगा।
  - (ii) दुकान/वाणिज्यिक प्रतिष्ठान जिस परिसर में स्थित है यदि वह परिसर 15 मीटर या अधिक हो 18 मीटर से कम चौड़े मार्ग पर स्थित है, 15 प्रतिशत वृद्धि कर मूल्यांकन किया जाये।
  - (iii) दुकान/वाणिज्यिक प्रतिष्ठान जिस परिसर में स्थित है यदि वह परिसर 12 या अधिक हो 15 मीटर से कम चौड़े मार्ग पर स्थित है, 10 प्रतिशत वृद्धि कर मूल्यांकन किया जायेगा।

1

- (iv) दुकान/वाणिज्यिक प्रतिष्ठान जिस परिसर में स्थित है यदि वह परिसर 05 मीटर या अधिक हो 12 मीटर से कम चौड़े मार्ग पर स्थित है तो उसमें 5 प्रतिशत की आनुपातिक रूप से प्रतिशत वृद्धि की जायेगी।
- (3). भूतल पर स्थित दुकान/वाणिज्यिक प्रतिष्ठान यदि दो मार्गों पर अथवा कार्नर पर स्थित है। तो श्रेणीवार निर्धारित सामान्य दर में आनुपाति रूप से प्रतिशत वृद्धि कर की जायेगी।
- (4). दुकान/वाणिज्यिक प्रतिष्ठान के मूल्यांकन हेतु श्रेणीवार निर्धारित सामान्य दरें भूतल पर स्थित दुकान/वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों की है। दुकान/वाणिज्यिक प्रतिष्ठान की स्थिति बेसमेन्ट में या प्रथम तल पर होने की दशा में द्वितीय तल व तृतीय तल पर स्थित होने की दशा में तथा तृतीय तल से अधिक तल पर स्थित की दशा में ऐसी वाणिज्यिक ईकाई के न्यूनतम मूल्य की गणना भूतल पर स्थित दुकान/वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों हेतु निर्धारित दरों के अनुसार की जायेगी।
3. उत्तर प्रदेश वित्त निगम, उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद, विकास प्राधिकरणों औद्योगिक विकास प्राधिकरणों, जिला उद्योग केन्द्रों, राज्य औद्योगिक विकास निगम, सिडकुल तथा अन्य राजकीय संस्थाओं/निगमों द्वारा अंतरित परिसम्पत्तियों हेतु उक्त संस्थानों द्वारा निर्धारित/अभिव्यक्त मूल्य ही बाजार मूल्य के रूप में अनुमन्य होगा। परन्तु उपरोक्त वर्णित संस्थाओं के द्वारा निष्पादित किये गये लेखपत्रों के मूल्यांकन लेखपत्र के निष्पादन की तिथि के प्रभारी दरों से कम नहीं होगी।
1. किसी लिखित या लेखपत्र जिसके द्वारा किसी संपत्ति का अंतरण प्रघटित या संभावित हो तथा जिस पर स्टाम्प शुल्क की प्रभार्यता लेखपत्र में वर्णित सम्पत्ति के बाजार मूल्य पर मूल्यानुसार हो उस लेखपत्र में सम्पत्ति के बाजार मूल्य को प्रभावित करने वाले समस्त तथ्यों या विवरण का उल्लेख पक्षकारों द्वारा किया जाना आवश्यक होगा।
2. यदि कोई ग्राम/मोहल्ला दर सूची में अंकित होने से रह गया है तो समीपस्थ ग्राम/मोहल्ला की दरें लागू होंगी।
3. अवस्थिति--नगरीय / अर्द्धनगरीय/ग्रामीण क्षेत्र।
4. गाटा संख्या, क्षेत्रफल (हेक्टे.) राजस्व ग्राम एवं परगना, मोहल्ला एवं वार्ड का नाम।
5. राजस्व ग्राम/मोहल्ला की श्रेणी।
6. चौदहवीं।
7. राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य राजमार्ग जिलामार्ग अथवा लिंक मार्ग पर स्थित होने की दशा सड़क का नाम और सड़क की चौड़ाई।
8. आबादी/आवासीय गतिविधियों के सम्पत्ति की दूरी (मीटर में)
9. अन्तरण के अधीन सम्पत्ति के सम्बन्ध में पूर्व में किया गया विक्रय करने का करार, यदि कोई हो तो विवरण।
10. अन्तरण के लिए प्रतिफल।
11. कलेक्टर द्वारा निर्धारित न्यूनतम दर प्रति हैक्टेयर एवं न्यूनतम बाजार मूल्य।

(दीपेन्द्र कुमार चौधरी)  
जिलाधिकारी चम्पावत।

कार्यालय जिलाधिकारी चम्पावत।

संख्या--4297(1)/पॉच-- (2014-15) दिनांक:: 01 नवम्बर, 2014

प्रतिलिपि--निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित--

1. सचिव मा0 मुख्यमंत्री जी उत्तराखण्ड शासन देहरादून।
2. अपर मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन देहरादून।
3. सचिव आवास/शहरी विकास विभाग उत्तराखण्ड शासन देहरादून।
4. अपर सचिव वित्त उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. महानिरीक्षक, निबन्धन, उत्तराखण्ड देहरादून।
6. आयुक्त कुमाऊ मंडल नैनीताल।
7. उप महा निरीक्षक निबन्धन/उपायुक्त स्टाम्प 405 इन्दिरा नगर, देहरादून।
8. समस्त उप जिलाधिकारी, जनपद चम्पावत।
9. उप महानिरीक्षक निबन्धन, कलक्ट्रेट परिसर, नैनीताल।
10. समस्त तहसीलदार, जनपद चम्पावत।
11. उप निबन्धक, चम्पावत।
12. अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद टनकपुर/नगर पंचायत लोहाघाट एवं चम्पावत।

(दीपेन्द्र कुमार चौधरी)  
जिलाधिकारी चम्पावत।